



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042022-235213
CG-DL-E-19042022-235213

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1766]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2022/चैत्र 28, 1944

No. 1766]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2022/CHAITRA 28, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2022

का.आ. 1856(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए, 'सात सेक्शनों' (एचआरआरएल, बाइमेर में स्थापित किए जाने वाले रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा) का, कांडला पोर्ट, गुजरात से एचआरआरएल पंचपदरा, बाइमेर, राजस्थान, तक सड़क मार्ग से परिवहन के लिए, जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

- मेसर्स रामेश्वर ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त प्रचालन में 'सात सेक्शनों' के परिवहन के लिए, मेसर्स ड्यूगो प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ट्रांसपोर्टर है।
- निम्नलिखित प्राइम मूवर्स, खेप की आवाजाही में इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्रम सं.	प्राइम मूवर्स की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक
1	जीजे-1-सीटी- 6399	वोल्वो
2	जीजे-1-सीवी-5599	वोल्वो
3	जीजे-1-डीवी-5499	वोल्वो
4	जीजे-1-डीएक्स-4499	वोल्वो

5	जीजे-1-डीवाई-5399	वोल्वो
6	जीजे-27-वी-4717	वोल्वो
7	जीजे-27-टीटी-0521	वोल्वो
8	जीजे-27-टीटी-1609	वोल्वो
9	जीजे-27-टीटी-0937	वोल्वो
10	जीजे-12-बीवी-7699	टाटा
11	जीजे-07-एएन-9821	वोल्वो
12	जीजे-27-टीटी-8299	भारत बेंज
13	जीजे-27-एक्स-7599	टाटा

3. उपरोक्त प्रचालन के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र रेजिस्ट्रीकृत माडुलर हाईड्रोलिक ट्रेलर्स इस्तेमाल किए जाएंगे:-

क्रम सं	ट्रेलरों की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक	ट्रेलरों धुरियों संख्या	मे की	अनुमेय सकल यान भार (टन में)
1.	जीजे-27-टीटी-3837	वीएमटी	6		156
2.	एचआर-55-एबी-4094	वीएमटी	6		156
3.	एचआर-55-एबी-8207	वीएमटी	6		156
4.	एचआर-55-एबी-3711	वीएमटी	4		104
5.	एचआर-55-एबी-3445	वीएमटी	4		104
6.	एचआर-38-वाई-4451	वीएमटी	4		104
7.	एचआर-38-वाई-4151	टीआईआईजीआईआर	4		104
8.	एचआर-38-वाई-1969	टीआईआईजीआईआर	2		52
9.	एचआर-38-वाई-9146	टीआईआईजीआईआर	4		104
10.	एचआर-55-एडी-0970	टीआईआईजीआईआर	4		104
11.	एचआर-55-एडी-5511	वीएमटी	6		156
12.	एचआर-38-जेड-9122	टीआईआईजीआईआर	2		52
13.	एचआर-38-जेड-3887	टीआईआईजीआईआर	4		104
14.	एचआर-38-जेड-0532	टीआईआईजीआईआर	4		104
15.	एचआर-38-जेड-4737	टीआईआईजीआईआर	4		104
16.	एचआर-38-जेड-1642	टीआईआईजीआईआर	4		104
17.	एचआर-38-जेड-5658	टीआईआईजीआईआर	2		52
18.	एचआर-38-जेड-1559	टीआईआईजीआईआर	6		156
19.	एचआर-38-जेड-6897	टीआईआईजीआईआर	2		52
20.	एचआर-38-एए-0616	वीएमटी	4		104
21.	एचआर-55-एजी-8096	टीआईआईजीआईआर	4		104
22.	एचआर-55-एजी-2982	टीआईआईजीआईआर	6		156
23.	एचआर-55-एजी-6392	वीएमटी	8		208
24.	एचआर-55-एजी-6847	वीएमटी	8		208
25.	एचआर-55-एजी-5349	टीआईआईजीआईआर	6		156

26.	एचआर-55-एच-6821	टीआईआईजीआईआर	4	104
27.	एचआर-55-एच-4657	टीआईआईजीआईआर	4	104
28.	डीडी-01-सी-9928	टीआईआईजीआईआर	6	156
29.	डीडी-01-सी-9232	टीआईआईजीआईआर	4	104
30.	डीडी-01-सी-9677	टीआईआईजीआईआर	4	104
31.	डीडी-01-सी-9940	टीआईआईजीआईआर	6	156
32.	एचआर-38-जेड-5114	टीआईआईजीआईआर	4	104
33.	एचआर-38-जेड-7506	टीआईआईजीआईआर	6	156
34.	एनएल-02-डी-1558	टीआईआईजीआईआर	4	104
35.	एनएल-02-डी-1628	टीआईआईजीआईआर	6	156
36.	एनएल-02-डी-2607	टीआईआईजीआईआर	6	156
37.	जीजे-06-एक्सएक्स-9335	टीआईआईजीआईआर	6	156
38.	एचआर-63-4106	टीआईआईजीआईआर	6	156
39.	जीजे-12-बीटी-5884	टीआईआईजीआईआर	6	156
40.	एचआर-12-बीवाई-3704	वीएमटी	4	104
41.	एचआर-12-बीवाई-3649	वीएमटी	4	104
42.	एचआर-12-बीवाई-6452	वीएमटी	4	104

4. यान और भार विन्यास:- लदी स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और खेप का समग्र आयाम होगा: -

खेप का नाम	खाली धुरी पंक्तियों का भार (टन में)	खेप का भार	यान का लदान के साथ भार	लोड प्रति एक्सल लाइन	खेप का समग्र आयाम (मीटर में) (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)	लंबाई और चौड़ाई में धुरों के युग्मन का विवरण
सेक्शन-1	66.6 टन	156 टन	222.6 टन	11.13 टन	20.5 x 8.8 x 8.7	10+10 धुरी पंक्तियां (20 धुरी पंक्तियों के बराबर) धुरी की चौड़ाई में युग्मित की जाएंगी (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
सेक्शन-2	79.92 टन	215 टन	294.92 टन	12.29 टन	21 x 8.3 x 9.8	12+12 धुरी पंक्तियां (24 धुरी पंक्तियों के बराबर) धुरी की चौड़ाई में युग्मित की जाएंगी (16 टायर प्रति धुरा

						पंक्ति)
	69.93 टन	220 टन	289.93 टन	13.81 टन	30.2 x 9 x 7.4	14 x 1.5 धुरी पंक्तियां (21 धुरी पंक्तियों के बराबर) धुरी की चौड़ाई में युग्मित की जाएंगी (12 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
सेक्शन-3	93.24 टन	220 टन	313.24 टन	11.19 टन	30.2 x 9 x 7.4	14+14 धुरी पंक्तियां (28 धुरी पंक्तियों के बराबर) धुरी की चौड़ाई में युग्मित की जाएंगी (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
	89.91 टन	250 टन	339.91 टन	12.59 टन	30 x 9 x 9.8	18 x 1.5 धुरी पंक्तियां (27 धुरी पंक्तियों के बराबर) धुरी की चौड़ाई में युग्मित की जाएंगी (12 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
सेक्शन-4	119.88 टन	250 टन	369.88 टन	10.27 टन	30 x 9 x 9.8	18+18 धुरी पंक्तियां (36 धुरी पंक्तियों के बराबर) धुरी की चौड़ाई में युग्मित की जाएंगी (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
सेक्शन-5	139.86 टन	258 टन	397.86 टन	9.47 टन	48.54 x 8.2 x 7.8	28 x 1.5 धुरी पंक्तियां (42 धुरी पंक्तियों के बराबर) धुरी की चौड़ाई में युग्मित की

						जाएंगी (12 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
सेक्शन-6	99.9 टन	303 टन	402.9 टन	13.43 टन	36.60 x 8.2 x 8	20 x 1.5 धुरी पंक्तियां (30 धुरी पंक्तियों के बराबर) धुरी की चौड़ाई में युग्मित की जाएंगी (12 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
सेक्शन-7	119.88 टन	490 टन	609.88 टन	16.94 टन	38.48 x 8.5 x 8.65	24 x 1.5 धुरी पंक्तियां (36 धुरी पंक्तियों के बराबर) धुरी की चौड़ाई में युग्मित की जाएंगी (12 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
	159.84 टन	490 टन	649.84 टन	13.54 टन	38.48 x 8.5 x 8.65	24+24 धुरी पंक्तियां (48 धुरी पंक्तियों के बराबर) धुरी की चौड़ाई में युग्मित की जाएंगी (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)

5. उपरोक्त छूट इन शर्तों के अधीन है कि:-

- (i) उपरोक्त कन्साइनमेंट का परिवहन, विशिष्ट मार्ग कांडला पोर्ट, गुजरात से एचआरआरएल पचपदरा, बाड़मेर, राजस्थान तक इस सड़क मार्ग के जरिए होगा-
कांडला पोर्ट - गांधीधाम - बचाकु - समखियाली - अदेसर - संतालपुर - सिद्धदा - झज्जम - सुइगम - वाव - थरद - सांचोर - राम जी का गोल - गुडमलानी - बालोतरा - एचआरआरएल पचपदरा - 501 किलोमीटर।
- (ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को प्रत्येक बार सड़कों पर लाते समय इन प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- (iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

- (iv) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।
- (v) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लोडेड यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- (vi) ट्रांसपोर्टर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं / अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं / व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रेलरों की आवाजाही के कारण होता है।
- (vii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रेलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।
- (viii) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।
- (ix) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ वाहन गुजर रहा है।
- (x) सड़क पर चलने के लिए ट्रेलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (xi) ट्रेलरों की संपूर्ण चैड्राई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने के लिए विधिवत लिखा होना चाहिए/पार्किंग के लिए आगे, और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।
- (xii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।
- (xiii) ट्रेलरों और प्राइम मूवर्स के रेजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही गुजरात, हरियाणा और नागालैंड राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में रेजिस्ट्रीकृत हैं।
- (xiv) किसी यान (यानों) या अन्य रेजिस्ट्रीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (xv) खेप के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

[सं. आरटी-11042/03/2022-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2022

S.O. 1856(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of 'Seven Sections' (part of Refinery cum Petrochemical Complex to be setup at HRRL, Barmer) from Kandla Port, Gujarat to HRRL Pachpadra, Barmer Rajasthan by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s Rameshwar Transport Company Private Limited is the transporter of M/s Deugro Projects India Private Limited for transportation of 'Seven Sections' for the aforesaid movement.

2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
1	GJ-1-CT- 6399	VOLVO
2	GJ-1-CV-5599	VOLVO
3	GJ-1-DV-5499	VOLVO
4	GJ-1-DX-4499	VOLVO
5	GJ-1-DY-5399	VOLVO
6	GJ-27-V-4717	VOLVO
7	GJ-27-TT-0521	VOLVO
8	GJ-27-TT-1609	VOLVO
9	GJ-27-TT-0937	VOLVO
10	GJ-12-BV-7699	TATA
11	GJ-07-AN-9821	VOLVO
12	GJ-27-TT-8299	BHARAT BENZ
13	GJ-27-X-7599	TATA

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

S. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
1.	GJ-27-TT-3837	VMT	6	156
2.	HR-55-AB-4094	VMT	6	156
3.	HR-55-AB-8207	VMT	6	156
4.	HR-55-AB-3711	VMT	4	104
5.	HR-55-AB-3445	VMT	4	104
6.	HR-38-Y-4451	VMT	4	104
7.	HR-38-Y-4151	TIIGER	4	104
8.	HR-38-Y-1969	TIIGER	2	52
9.	HR-38-Y-9146	TIIGER	4	104
10.	HR-55-AD-0970	TIIGER	4	104
11.	HR-55-AD-5511	VMT	6	156
12.	HR-38-Z-9122	TIIGER	2	52
13.	HR-38-Z-3887	TIIGER	4	104
14.	HR-38-Z-0532	TIIGER	4	104
15.	HR-38-Z-4737	TIIGER	4	104
16.	HR-38-Z-1642	TIIGER	4	104
17.	HR-38-Z-5658	TIIGER	2	52
18.	HR-38-Z-1559	TIIGER	6	156
19.	HR-38-Z-6897	TIIGER	2	52
20.	HR-38-AA-0616	VMT	4	104
21.	HR-55-AG-8096	TIIGER	4	104
22.	HR-55-AG-2982	TIIGER	6	156
23.	HR-55-AG-6392	VMT	8	208
24.	HR-55-AG-6847	VMT	8	208

25.	HR-55-AG-5349	TIIGER	6	156
26.	HR-55-AH-6821	TIIGER	4	104
27.	HR-55-AH-4657	TIIGER	4	104
28.	DD-01-C-9928	TIIGER	6	156
29.	DD-01-C-9232	TIIGER	4	104
30.	DD-01-C-9677	TIIGER	4	104
31.	DD-01-C-9940	TIIGER	6	156
32.	HR-38-Z-5114	TIIGER	4	104
33.	HR-38-Z-7506	TIIGER	6	156
34.	NL-02-D-1558	TIIGER	4	104
35.	NL-02-D-1628	TIIGER	6	156
36.	NL-02-D-2607	TIIGER	6	156
37.	GJ-06-XX-9335	TIIGER	6	156
38.	HR-63-4106	TIIGER	6	156
39.	GJ-12-BT-5884	TIIGER	6	156
40.	HR-12-BY-3704	VMT	4	104
41.	HR-12-BY-3649	VMT	4	104
42.	HR-12-BY-6452	VMT	4	104

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

Consignment Name	Unladen weight of axle rows in Tons	Weight of consignment	Laden weight of the vehicle	Load Per axle line	Overall dimension of consignment (in metres) Length x Width x Height)	Description of Coupling of axles in length and width
Section-1	66.6 MT	156 MT	222.6 MT	11.13 MT	20.5 x 8.8 x 8.7	10+10 axle rows (equivalent to 20 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)
Section-2	79.92 MT	215 MT	294.92 MT	12.29 MT	21 x 8.3 x 9.8	12+12 axle rows (equivalent to 24 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)
Section-3	69.93 MT	220 MT	289.93 MT	13.81 MT	30.2 x 9 x 7.4	14 x 1.5 axle rows (equivalent to 21 axle rows) will be coupled in axle width. (12 tyres per axle row)
	93.24 MT	220 MT	313.24 MT	11.19 MT	30.2 x 9 x 7.4	14+14 axle rows (equivalent to 28 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)
Section-4	89.91 MT	250 MT	339.91 MT	12.59 MT	30 x 9 x 9.8	18 x 1.5 axle rows (equivalent to 27 axle rows) will be coupled in axle width (12 tyres per axle row)
	119.88 MT	250 MT	369.88 MT	10.27 MT	30 x 9 x 9.8	18+18 axle rows (equivalent to 36 axle rows) will be coupled

						in axle width. (16 tyres per axle row)
Section-5	139.86 MT	258 MT	397.86 MT	9.47 MT	48.54 x 8.2 x 7.8	28 x 1.5 axle rows (equivalent to 42 axle rows) will be coupled in axle width (12 tyres per axle row)
Section-6	99.9 MT	303 MT	402.9 MT	13.43 MT	36.60 x 8.2 x 8	20 x 1.5 axle rows (equivalent to 30 axle rows) will be coupled in axle width (12 tyres per axle row)
Section-7	119.88 MT	490 MT	609.88 MT	16.94 MT	38.48 x 8.5 x 8.65	24 x 1.5 axle rows (equivalent to 36 axle rows) will be coupled in axle width (12 tyres per axle row)
	159.84 MT	490 MT	649.84 MT	13.54 MT	38.48 x 8.5 x 8.65	24+24 axle rows (equivalent to 48 axle rows) will be coupled in axle width (16 tyres per axle row)

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

- i. The specific route for transportation of the consignment will be from Kandla Port, Gujarat to HRRL Pachpadra, Barmer Rajasthan by road through-
Kandla Port - Gandhidham - Bachahcu - Samakhiyali - Adesar - Santalpur - Sidhada - Jhajham - Suigam - Vav - Tharad - Sanchore - Ram ji Ka Gol - Gudamalani - Balotra - HRRL Pachpadra- 501 KM.
- ii. Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.
- iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.
- iv. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- v. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
- vi. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- vii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.
- viii. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- ix. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- x. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
- xi. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.

- xii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
- xiii. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Gujarat, Haryana and Nagaland and Union Territory of Daman and Diu.
- xiv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
- xv. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

[No. RT-11042/03/2022-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.